राजनीतिक चिन्तन में न्याय की धारणा
(Concept of Justice in political thought)

- पाश्चात्य और पूर्वात्य, दोनों ही राजनीतिक दर्शनों में न्याय की धारणा को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वस्तुस्थिति यह है कि न्याय न केवल राजनीतिक वरन् नैतिक चिन्तन का भी एक अनिवार्य अंग और बहुत अधिक महत्वपूर्ण आधार है।

पाश्चात्य राजनीतिक चिन्तन में न्याय का अध्ययन प्लेटो की विचार-धारा से प्रारम्भ किया जा सकता है। प्लेटो के प्रसिद्ध ग्रन्थ रिपब्लिक (Republic) का सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय न्याय की प्रकृति और उसके निवास की खोज करना ही है। रिपब्लिक में उसकी इस न्याय सम्बन्धी धारणा को इतना प्रमुख स्थान प्राप्त है कि रिपब्लिक का उपशीर्षक न्याय से सम्बन्धित (concerning Justice) रखा गया है। इबेन्स्टीन (Ebenstein) तो लिखते हैं कि प्लेटो के न्याय सम्बन्धी विवेचन में उसके राजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व शामिल हैं।

- आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक माँग है → प्लेटो न्याय के दो रूपों का वर्णन करता है। व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक या राज्य से सम्बन्धित न्याय। प्लेटो की धारणा थी कि मानवीय आत्मा में तीन तत्व या अंश मौजूद हैं। इन्द्रिय तृष्णा या इच्छा तत्व (Appetite). शौर्य (Spirit) और बुद्धि (Wisdom) इन तीनों तत्वों के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के तीन वर्ग होते हैं, जिन्हें क्रमशः शासक वर्ग, सैनिक या रक्षक और व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सन्तोषपूर्वक अपने अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। प्लेटो के न्याय सिद्धान्त के सम्बन्ध में बर्कर के विचार हैं।

न्याय का अर्थ है, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन, जो उसके प्राकृतिक गुणों और सामाजिक स्थिति के अनुकूल है, नागरिक को अपने धर्म की चेतना तथा सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यंजना ही राज्य का न्याय है। वास्तव में, प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धान्त का प्रतिपादन एक कानूनी सिद्धान्त के रूप में नहीं वरन् एक नैतिक सिद्धान्त के रूप में ही किया है।

प्लेटो के समान अरस्तू भी राज्य सिद्धान्त का प्रतिपादन प्लेटो से भिन्न रूप में किया गया है। अरस्तू ने न्याय के दो भेद माने हैं (i) वितरणात्मक या राजनीतिक न्याय (Distributive Justice) (ii) सुधारक न्याय (Corrective or Rectificatory Justice) वितरणात्मक न्याय का सिद्धान्त यह है कि राजनीतिक पदों की पूर्ति नागरिकों की योग्यता और उनके द्वारा राज्य के प्रति की गई सेवा के अनुपात में हो। सुधारक न्याय का तात्पर्य यह है कि एक नागरिक के दूसरे नागरिक के साथ सम्बन्ध को निश्चित करते हुए सामाजिक न्याय।

प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने अधिकार देने की निश्चित और सनातन इच्छा है।